महत्वपूर्ण/समयबद्ध/संशोधन
संख्या–1395(3)/नौ–5–17–102सा/2017

प्रेषक,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7– निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 2017

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आहूत समीक्षा बैठक में लिये गये निर्देशों के अनुपालन में *ऊर्जा बचत के* दृष्टिगत पारम्परिक लाइटों को एल0ई0डी0 लाइटों में परिवर्तित करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–994/नौ–7–17–27(ज)/2014 दिनांक 14 अप्रैल, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1395(1)/नौ–5–17–102सा/2004 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 08.04.2017 में दिए गए निर्देशों पर अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश संख्या–1395(1)/नौ–5–17–102सा/2004 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के बिन्दु संख्या–4 में निम्नवत् उल्लेख है–

"4– नागर निकायों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को ठीक किया जाय तथा समस्त नगर निगमों में Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) के माध्यम से एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।"

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के उक्त बिन्दु को शासनादेश संख्या–994/नौ–7–17–27(ज)/2014 दिनांक 14 अप्रैल, 2017 में बिन्दु संख्या–5 के अनुसार अर्थात् ***"ऊर्जा बचत के दृष्टिगत पारम्परिक लाइटों को एल0ई0डी0 लाइटों में परिवर्तित करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जाय"*** पढ़ा जाय। तद्नुसार शासनादेश संख्या–1395(1)/नौ–5–17–102सा/2004 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 का बिन्दु संख्या–4 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। अतः कृपया उक्त संशोधन के अनुसार शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1395(4)/नौ–5–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान/जलकल विभाग, नगर निगम, उ0प्र0।
2– नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
3– कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।